

मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

एम.ए.सी.पी. संख्या २३९/२०१९,

श्रीमती शिवा पत्नी श्री रास बिहारी उम ४५ वर्ष निवासी ग्राम पचार पोस्ट बझेरा थाना चिरगाँव तहसील मोठ जिला झाँसी, उ.प्र.

-----याचिया।

प्रति

१. अनुराग पुत्र श्री रमेश निवासी ग्राम १३९ गढ़मऊ थाना बड़ागाँव तहसील व जिला झाँसी उ.प्र.
.....चालक ट्रक नं. यू.पी. ९३ बी टी ४३९४

२. राकेश कुमार साहू पुत्र श्री नन्दराम साहू निवासी ५२०/२ कोछाभावर, झाँसी तहसील व जिला झाँसी उ.प्र.

.....पंजीकृत स्वामी ट्रक नं. यू.पी. ९३ बी टी ४३९४

३ चोला एम.एस. जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड द्वितीय तल, ४ मेरीगोल्ड, शाहनजफ रोड, लखनऊ जरिए क्लेम इंजार्ज चोला एम.एस. जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड-श्रीराम वाटिका हाउस नं. एस-१०/६ए-११, मकबूल आलम रोड, श्रीकान्त नगर कालोनी, वाराणसी जिला वाराणसी, उ.प्र.

.....बीमाकर्ता ट्रक नं. यू.पी. ९३ बी टी ४३९४

-----विपक्षीगण।

याची के अधिवक्ता- श्री राजीव गुप्ता

विपक्षी सं. १ व २ के अधिवक्ता- श्री राकेश चन्द्र साहू

विपक्षी सं. ३ के अधिवक्ता- श्री सुनील शुक्ला

०१.११.२०२०

पत्रावली आज E-Lok Adalat में पेश हुयी। याचिया व उनके विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षी सं. ३ चोला एम.एस. जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आये ।

याचिया व विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी के मध्य हुए सुलहनामा २६बी पर याची व विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। २६बी सुलहनामा उभय पक्ष की उपस्थिति में आज न्यायाधिकरण में तस्दीक किया गया। २६बी सुलहनामा के अनुसार विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ ५०,००० याचिया को सम्पूर्ण सन्तुष्टि पर अदा करेगी। उभय पक्ष द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष सुलहनामा २६बी की पुष्टि की गयी है तथा याचिया सुलहनामा २६बी में दर्शित कुल ₹ ५०,००० प्रतिकर के रूप में लेने हेतु सहमत है, जिसे विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी याचीगण को देने हेतु तैयार हैं। अतः याचिका सुलहनामा २६बी के अनुसार पूर्ण सन्तुष्टि में निर्णीत किये जाने योग्य है।

आदेश

याचीगण की याचिका सुलहनामा २६बी के अनुसार निर्णीत की जाती है। सुलहनामा २६बी इस आदेश का भाग रहेगा। विपक्षी सं. ३ चोला एम.एस. जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को आदेशित किया जाता है कि वह निर्णय के दिनांक से ३० दिन के अन्दर प्रतिकर की धनराशि ₹ ५०,००० मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के सिंडीकेट बैंक के खाता सं. ९२३५२०१०००८५६० आई.एफ.सी. सं. SYNB ०००९२३ में आर.टी.जी.एस./ नेफ्ट के माध्यम से अंतरित कर दे। धनराशि अन्तरण में याचिका संख्या, नाम बनाम का उल्लेख किया जाएगा तथा ट्रांजैक्शन नं. मय याचिका संख्या व नाम बनाम की सूचना न्यायाधिकरण को ईमेल po@mactjhansi.in व po-mact.jh@up.gov.in पर भेजी जाएगी। उक्त प्रतिकर की धनराशि याचिया श्रीमती शिवा आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के जरिए अपने बैंक खाते में नकद प्राप्त कर सकेगी।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)

पीठासीन अधिकारी

मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण,
झाँसी।